# सारांशिका

भारत में आजकल मादक द्रव्यों में विशेषरूप से मदिरा का प्रचलन विगत कुछ वर्षो से उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है जबकि हर व्यक्ति भली–भाँति यह जानता है कि शराब और नशा व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिये ही नहीं, अपितु उससे सम्बन्धित परिवार तथा समाज दोनों के लिये भी हानिकारक हैं। मदिरा, नशाखोर/पीने वाले की बुद्धि को तो यहाँ तक विकृत कर देती है कि वह अवांछनीय, अनैतिक, पथभृष्ट तथा अन्यान्य अपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त हो जाता है। उसे सद् और असद् का ज्ञान नहीं रह जाता; उसकी अपराधिकवृत्ति उस पर इतनी हाबी हो जाती है कि नशाखोर अपराध की ओर उन्मुख हो ही जाती है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति तथा समाज उसका तिरस्कार करने लगता है, उपहास, निन्दा तथा आलोचना का पात्र वह स्वतः ही बन जाता है; व्यक्ति की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है; फिर भी व्यक्ति शराब पीता है तथा दूसरों को भी पीने के लिये विवश करता है; क्यों कि वह आधुनिकता की दौड़ में अपने को या तो संभ्रात तथा उच्च–वर्ग में दिखाने के लिये अथवा अपने गमों को भुलाने के लिये मद्यपान करते हैं; तो कुछ फैशन की भावना से प्रेरित होकर शौक–शौक में पीते हैं। विद्वानों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार पीना आरम्भ कर दे तो फिर उसे पीने की आदत पड़ जाती है। इस आदत का परिणाम यह होता है कि नशाखोर धीरे–धीरे शराब की मात्रा बढ़ता जाता है और कुछ समय पश्चात् वह अभ्यस्त तथा आदी हो जाता है। जिससे पहले तो मद्यपी शरीर में दुर्बल, क्षीण और कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति/नशाखोर बहुत कम ही होते हैं।

आजकल नशा निर्बल वर्ग के लोगों को अधिकाधिक प्रभावित कर रहा है युवाओं के साथ–साथ बड़े बुजुर्ग भी इसकी गिरफ्त में हैं, लेकिन सबसे अधिक ये युवा नयी पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं, युवा नयी पीढ़ी के अन्दर सिर्फ निर्बल वर्ग के लोगों को किया गया है, नशा करने वाला व्यक्ति घर, देश, समाज के लिये बोझ बन जाता है, जिसे सब नीची दृष्टि से देखते हैं, नशा करने वाले व्यक्ति का न कोई भविष्य होता है, न वर्तमान, उसके अन्त में लोग दुःखी नहीं होते हैं, देश में जो आज आतंकबाद, नक्सलवाद, बेरोजगारी की समस्या फैल रही है, इसका जिम्मेदार कुछ हद तक नशा भी है, नशा के चलते इन्सान अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाता और गलत राह में चलने लगता है। ऐसा अनेक समूहों में देखने को मिलता है। नशा जिसे हम एक सामाजिक बुराई कहते हैं, के कारण आज के निर्बल वर्ग के युवा विनाश की गर्त में जा रहे हैं। आज समाज में नशाखोरी प्रवृत्ति इस तरह अपना साम्राज्य फैला चुकी है कि निर्बल वर्ग के

युवा इसके कारण मौत के आगोश में समा रहे हैं। आये दिन नशे की ओवरडोज के कारण किसी न किसी घर का चिराग बुझता रहता है। नशाखोरी के कारण समाज में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। गाँव व शहर की न्याय व्यवस्था चरमरा रही है तथा परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। लोगों की मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक हालत बिगड़ रही है।

नई पीढ़ी में तो नशाखोरी की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नशे के कारण तो निर्बल वर्ग के युवाओं की पीढ़ी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग से विमुख हो रही है। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, युवा हो या वृद्ध वर्ग इस नशे की प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। घर से बाहर काम पाने का स्थान शहर, सड़क हो या नुक्कड़ सभी स्थानों पर नशाखोरी की जमात दिखाई देती है। अर्थात् यह शराब का स्वाभाविक दोष है कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी पीली, तो वह निश्चित ही पीने वाला (पियक्कड़) बन जायेगा। सत्य भी है कि बड़े–बड़े पियक्कड़ तथा अभ्यस्त नशाखोर पहले अत्यन्त न्यून मात्रा में; फिर एक निश्चित व सामान्य मात्रा में पीना आरम्भ करते हैं और तदुपरान्त धीरे–धीरे पीने की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और अन्तोगत्वा घौर पियक्कड़ बन जाते हैं। जिसके लिये उनकी संगति/मित्र–मण्डली, पर्यावरण तथा परिस्थितियाँ जिम्मेदार हुआ करती हैं।

सामान्यतः नशाखोरी के दो प्रभाव होते हैं– प्रथमः नींद लाने वाला तथा दूसराः उत्तेजक। इन दोनों का ही व्यक्ति, परिवार तथा समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नशाखोर प्रायः दो प्रकार के होते हैं– (1) एक वे जो मद्यपान कर लेने के बाद भी अपने शरीर और मस्तिष्क पर नियंत्रण करते हुये संयम बनाये रखते हैं वे **''संयत मद्यपी'' (मॉडरेट ड्रिन्कर्स)** कहलाते हैं, (2) दूसरे वे रोज पीते हैं और मद्यपान करके सुधिबुधि (होसहबास) खो बैठते हैं, **वे आदती/अभ्यस्त मद्यपी (हैबीचुअल ड्रिन्कर्स)** कहलाते हैं; ये नशाखोर के रूप में रोजाना मद्यपान करते हैं और इतनी पीते हैं कि वे अपने व्यवहार पर काबू नहीं रखपाते तथा बीबी–बच्चों, पड़ोस, परिवार तथा समाज के लिये भी समस्या बन जाते हैं। इस प्रकार मद्यपान करने की आदत एक ऐसी बुरी आदत है कि हर इन्सान चाहे नर हो अथवा नारी, बाल हो अथवा बृद्ध, सभी नशाखोरों की मुक्त कण्ठ से निन्दा करते हुये घृणा करते हैं। ऐसे अभ्यस्त नशाखोरों के स्वास्थ्य को तो खतरा उत्पन्न हो ही जाता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाती है। इस प्रकार मद्यपान व्यक्ति, परिवार तथा समाज के लिये एक दुर्व्यसन, सामाजिक बुराई तथा अभिशाप है। इसी प्रसंग में गाँधी जी ने भी लिखाा है किः ''जो समाज मद्यपान की आदत का शिकार होता है, विघटन उसके सामने मुँह बाये खड़ा रहता है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस बुराई के कारण कितने साम्राज्य धूल में

मिल गये। मैं हजारों शराबी होने के स्थान पर भारत को एक कंगाल राष्ट्र के रूप में देखना पसन्द करूँगा। आप, देश में आवकारी के फलस्वरूप होने वाली आय का अस्तित्व मिटाने और शराब की दुकानों का उन्मूलन करने में सहयोगी बनें।'' मद्यपान के दुष्परिणामों से आज समाज का हर प्राणी भली–भाँति परिचित है, फिर भी इसके व्यापक प्रचार में कोई कमी नहीं आ रही है; जितने अधिक प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं, समाजसेवी संस्थाएँ व संगठन इसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं; उतना ही अधिक इसका अवैध–निर्माण एवं प्रचार–प्रसार तथा प्रचलन दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। **इस सन्दर्भ में ''भारतीय संविधान के नीति–निर्देशक सिद्धान्त के अनुच्छेद–47'' में स्पष्ट निर्दिष्ट है** किः राज्य अपनी जनता के पोषक तथा जीवन–निर्वाह के स्तर को ऊँचा करते तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को अपने प्रारम्भिक कर्तव्यों में मुख्य समझेगा एवं विशेषतः राज्य यह प्रयत्न करेगा कि नशीले पेयों तथा नशीली दबाईयों; जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं, का प्रयोग निषिद्ध हो, सिबाय उनके जो चिकित्सा के काम की हैं।'' मद्य निषेध कार्यक्रम इसी अनुच्छेद–47 की देन है जो मद्यपान दुर्व्यसन की आदत तथा इस सामाजिक बुराई पर कुछ अंशों में प्रतिबन्ध लगाते हुये मद्यपियों पर भी अंकुश लगाता है। **''उ0प्र0 के आवकारी मैनुअल की मूलनीति खण्ड'1'' मद्यनिषेध के सन्दर्भ में स्पष्ट उल्लिखित है किः** उत्तर प्रदेश में मद्यनिषेध की नीति को प्रोन्नत, प्रवर्तित और प्रभावशाली बनाने के लिये राज्य सरकार को मद्य एवं मादक पदार्थो के आयात–निर्यात, परिवहन उत्पादन, विक्रय तथा भण्डारण को पूरे प्रदेश में अथवा प्रदेश के निर्देशित क्षेत्रों में निषिबद्ध करने हेतु अधिकृत करना आवश्यक है। **उ0प्र0 मद्यनिषेध पत्रिका–1993 में पृष्ठ 11 पर मद्य के दुर्गुणों पर प्रकाश डालते हुये लिखा है किः** ''मदिरा, मानवी बुद्धि को विकृत तथा पथभ्रष्ट कर किस प्रकार अवांच्छित, अनैतिक तथा अनेकों प्रकार की अपराधी प्रवृत्तियों की ओर धकेलती है; यह पुलिस–आलेख में उपलब्ध उन अपराधियों के विवरण से जाना जा सकता है, जिसके अनुसार 80 प्रतिशत से भी अधिक अपराध शराब या उस जैसी ही तेज मादक पदार्थो के सेवन के कारण किये जाते हैं।'' नित्य प्रति सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएँ चोरी, डकैती, यौनापराध, हत्याएँ, लूट व राहजनी इत्यादि के अपराधियों में मद्यपान की बुरी आदत अवश्य पायी जाती हैं। स्पष्टतः मद्यपान एवं अपराध परस्पर जुड़वाँ बहिनें हैं, क्योंकि मद्यपी अपराध करने से पूर्व मदिरापान करते हैं या फिर मदिरापान कर अपराध करते हैं। मात्र मद्य–निषेध घोषित कर देने अथवा विधायी–प्रावधान बना देने से इन समस्याओं का समाधान कदापि सम्भव नहीं हैं; क्योंकि आवकारी–विभाग इसमें प्रत्यक्षतः वाधक है। स्पष्टतः मद्यपान एक विपथगामी व्यवहार है तथा जिसकी परिणित घटित अपराध है।

प्रस्तुत समस्या अभ्यस्त का अध्ययन करने के लिये अनुसंधान कार्य को उत्तर प्रदेश के आगरा नगर के ३००० नशाखोर में से ३०० अभ्यस्त नशाखोर का चयन संयोग निदर्शन की लाटरी पद्धति द्वारा करके किया गया है।

**अभ्यस्त नशाखोर कौन ? :**

किसी व्यक्ति के समक्ष मद्यपान की ऐसी प्रवृत्ति आ जाय जब व्यक्ति इसके बिना रह ही न सके, और इसके न मिलने पर व्याकुलता का अनुभव करे तो इस प्रवृत्ति की आदत (हैबिट) तथा आदत के रूप में असामान्य मात्रा में दैनिक रूप से मद्यपान करने वाले व्यक्ति (नशाखोर) की आदत नशाखोर/मद्यसेवी (हैबिचुअल ड्रिन्कर) माना गया है। ऐसे व्यक्ति ही वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामुदायिक व सामाजिक विघटन की परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। विशुद्ध सिद्धान्तों से विचलित होने वाला व्यक्ति विचलित व्यवहार का तात्पर्य ऐसे मानव व्यवहार से है जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों तथा आदर्श प्रतिमानों की उपेक्षा करता है; जबकि समाज ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं करता। यही विचलित व्यवहार अपराध के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं; तब विचलित व्यवहार तथा अपराधिक प्रवृत्ति दोनों ही समाज विरोधी कार्यों हेतु व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार सामान्य व्यवहार–प्रतिमान के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है, एवं ऐसा किया गया व्यवहार अपराधिक व्यवहार। अपराधिक व्यवहार की यह दशा विचलित व्यवहार के कारण तथा बाद में आती है। जिसमें तीन लक्षण– अनियन्त्रण, नियमों का उल्लंघन तथा नैतिकता का अभाव होते हैं। स्पष्टः विपथगामी व्यवहार, अपराधिक–व्यवहार की प्रथम दशा होती है। साथ ही नशाखोरी एक बीमारी या एक प्रवृत्ति जिसके चलते इंसान अपनी जिन्दगी से हाथ धो बैठता है। यह केवल एक बीमारी नहीं है बल्कि यह अनेक रोगों की जननी भी है। इसी प्रवृत्ति के चलते मनुष्य का मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक पतन तेजी से हो रहा है। सामाजिक मर्यादाएँ भँग हो रही हैं। नैतिक मूल्यों का तेजी से ह्रास हो रहा है। समाज में बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति के लिये सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसी को माना जा सकता है तो वह नशाखोरी ही है। शराब के नशे में चर व्यक्ति असामान्य हालात में वो भी कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। समाचार पत्रों में आये दिन नशाखोरों की कोई न कोई हरकत सुनने व पढ़ने को मिलती ही रहती हैं। नशाखोरी से न केवल अपराध बढ़ रहे हैं बल्कि इससे दुर्घटनाएँ भी तेजी से बढ़ रही हैं। आधे से अधिक सड़क दुर्घटनाओं के लिये नशाखोरी को ही जिम्मेदार माना गया है। कभी यात्री बस पलट जाती है तो कभी बरातियों से भरा वाहन

दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है। पर परवाह नहीं क्योंकि नशा इंसान पर इस कद्र हावी हो जाता है कि उसे किसी भी जिन्दगी की परवाह ही नहीं रहती।

**निदर्शित नशाखोरों का व्यक्तिगत अभिज्ञान :**

निदर्शित समस्त 300 अभ्यस्त नशाखोर में से धार्मिक संरचना की दृष्टि सेः 147 (49.00 प्रतिशत) हिन्दू, 99 (33.00 प्रतिशत), 23 (07.00प्रतिशत) सिक्ख जातियाँ, 20,11 (06.66प्रतिशत, 03.66 प्रतिशत) अन्य धर्मावलम्बी, जबकि सामाजिक **आधार पर जातिगत दृष्टि से** : 15 (05.00प्रतिशत) सामान्य वर्ग, 85 (28.33प्रतिशत) पिछड़ी तथा 154(51.33प्रतिशत) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित–जनजाति के चुने गये; और अन्य जाति के 46 (15.33प्रतिशत) जैसे मुस्लिम, इसाई आदि **लिंगीय संरचना के अनुसारः** सभी (300) पुरुष चुने गये जो यह स्पष्ट करता है कि महिलाएँ मद्यपान नहीं करती हैं। **नशाखोरों की आयु संरचना की दृष्टि सेः** 300 सूचनादाताओं में 85 (28.33प्रतिशत) निदर्शित 28 वर्ष से कम आयु वर्ग, 33.00 प्रतिशत निदर्शित 28 से 38, 14.33 प्रतिशत निदर्शित 38 से 48 आयु वर्ग, (10.66 प्रतिशत) निदर्शित 40 से 58 आयु वर्ग 08.66 निदर्शित 58 से 60 आयु वर्ग, 05.00 प्रतिशत निदर्शित 60 से अधिक आयु वर्ग हैं; **वैवाहिक स्तर की दृष्टि सेः** 105 (35.00प्रतिशत) अविवाहत 195 (65.00प्रतिशत) विवाहित चुने गये हैं, **शैक्षिक संरचना की दृष्टि सेः** 87 (29. 00प्रतिशत) अशिक्षित तथा 213 (71.00प्रतिशत) शिक्षित चुने गये हैं जिनमें 215 (43.00प्रतिशत) साक्षर, 105 (21.00प्रतिशत) प्राइमरी, 60 (20. 00प्रतिशत) आठवीं, 90 (30.00प्रतिशत) हाईस्कूल, 48 (16.00प्रतिशत) इण्टर, 15 (03.00प्रतिशत) स्नातक तथा 06 (02.00प्रतिशत) स्नातकोत्तर तथा अन्य प्रशिक्षण युक्त चुने गये हैं; **व्यवसायिक दृष्टि सेः** 100 (33.33प्रतिशत) श्रमिक, 100 (33.33प्रतिशत) रिक्शा चालक और 100 (33.34प्रतिशत) जो आटो चालक पाये गये, **आवासों/मकानों के स्वरूप की दृष्टि सेः** 49 (16.33प्रतिशत) कच्चे पक्के मकानों, 48 (16.00प्रतिशत) पक्के मकानों, 149 (45.66प्रतिशत) झुग्मी–झौंपड़ी में तथा 54 (18.00प्रतिशत) उत्तरदाता किराये के मकान में निवास करते हैं; **परिवारों की सामाजिक–आर्थिक दृष्टि सेः** 63 (21.00प्रतिशत) निदर्शित लोगों ने अपनी आमदनी बतायी जिससे परिवार का खर्च चलता है सन्तुष्ट हैं तथा 45 (15.00प्रतिशत) उत्तरदाता ने बाया कि इस आय से जीवनयापन नहीं हो पाता है जो निर्धनता का जीवन जीते हैं। इन लोगों के परिवारों का जीवन स्तर अति कमजोर है; वहीं **परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्तरों की दृष्टि सेः** 199 (66.33प्रतिशत) निदर्शितों के परिवार असन्तोष व्यक्त किया, 101(33.66प्रतिशत)

निदर्शितों के परिवार मध्ययन आय वर्ग में होने के कारण सन्तोष व्यक्त किया। **नशाखोरों के स्वास्थ्य के सन्दर्भ में:** 200 (66.57प्रतिशत) निदर्शितों के स्वास्थ्य के विषय में सामान्य कहा 100 (33.33प्रतिशत) निदर्शितों स्वास्थ्य अच्छा न होने की बात कही। जो कि एक चिन्तनीय समस्या को प्रदर्शित करता है। सम्पूर्ण नगरीय अंचल सभी वार्डो से चुने गये हैं सुस्पष्ट है कि नशाखोरी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की समस्या मूलतः न तो नगरीय अंचल की है और न ग्रामीण अंचल की।

**अभ्यस्त नशाखोरों की परिवारिक संरचना एवं समस्याएँ :**

व्यक्ति के जीवन में **''पारिवारिक दशाएँ तथा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि''** अहम् भूमिका निभाती है क्योंकि परिवार सामाजिक जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति की भूमिकाओं व क्रियाओं को नियन्त्रित तथा निर्देशित करने का प्रयास करती हैं। दूसरेः परिवार समाज का मेरूदण्ड है जिसके सहारे समाज का ढाँचा खड़ा होता है, तीसरे : प्राणीशास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने तथा व्यक्तित्व के विकास में जिन एकाधिक कारकों को सामाजिकता का हाथ रहता है; परिवार, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बालक से लेकर बड़े होने तक समाजीकरण परिवार से ही आरम्भ होता है और परिवार में ही पूर्ण होता है उसकी उछृंखल प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है, इतना ही नहीं, समाज के विकास के लिये जिस सहयोग, सामंजस्य प्रेम, सौहार्द्र की आवश्यकता होती है उसकी प्रथम पाठशाला भी परिवार ही है; जो अपने सदस्यों में असीमित प्रेम, सहनशीलता, नैतिक गुण, उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य–बोध जैसे मानवीय गुणों का विकास करने एवं गलत आदतों में व्यवहारों का विरोध करने में भी अहम भूमिका निभाता है। चूँकि नशाखोरी एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसे संसार का कोई भी परिवार स्वीकार नहीं करता है। इस दृष्टि से परिवारिक संरचना एवं उसकी समस्याएँ भी अध्ययन की गयी हैं। **पारिवारिक संरचना की दृष्टि से** कुल 300 निदर्शितों के परिवारों में से 180 (60.00 प्रतिशत) संयुक्त परिवारों के रूप में रहे रहे हैं तथा 120 (40.00 प्रतिशत) निदर्शित हैं लोग एकाकी परिवारों में हैं अभ्यस्त नशाखोर पाये गये हैं। सर्वेक्षित परिवारों में प्रति परिवार औसतन सदस्य–संख्याः 6 पायी गयी है। परिवारों की **आवासीय दशाओं तथा पर्यावरण सेः** 150 (50.00 प्रतिशत) निदर्शित सन्तुष्ट 11 (37.00) निदर्शित उदासीन, 34 (13.00 प्रतिशत) निदर्शित असन्तुष्ट पाये गये हैं; क्योंकि ऐसे परिवारों के मकानों में वायु तथा प्रकाश का अभाव पाया गया है, जबकि अनेक परिवारों में पर्यावरण दूषित पाया गया है।

**परिवारों में प्रति परिवार मद्यसेवनकर्ताओं की आवृत्तियों के सन्दर्भ में :**

अनुसूचित जाति के निदर्शित युवाओं के परिवारों में मद्य सेवनकर्ताओं की संख्या अधिक मिली क्योंकि वे स्वयं का कार्य करते हैं और थकान दूर करने के लिये शराब आदि का सेवन करते हैं क्योंकि ज्यादातर निर्बल वर्ग के सदस्य जैसे, श्रमिक, रिक्शा चालक और आटो रिक्शा चालक ऐसे कृत्यों में सम्मिलित होने की बात अनुसंधान को बताया। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के युवा लोगों ने भी स्वीकार किया कि हम लोग भी ऐसे कृत्य को करने में संकोच नहीं करते हैं। अपनी दिनभर की आमदनी में 100 रुपये से मद्यपान करना अनिवार्य हो जाता है। कभी ज्यादा भी खर्चे हो जाते हैं। सवर्ण जाति के युवाओं ने ऐसा मद्यपान के लिये सीमित क्षेत्रों में सम्पन्न की बात स्वीकार की। उनका कहना था कि कृत्य साफ सुथरे लोगों के साथ करते हैं जबकि समग्र के स्तर पर कुल सर्वेक्षण 300 निर्बल वर्ग के नशाखोरों के परिवारों का सर्वेक्षण किया जिसमें निष्कर्ष स्वरूप पाया कि ज्यादातर परिवार के सदस्य नशाखोरी से परेशान एवं कमजोर हैं।

सर्वेक्षित नशाखोरों ने स्वीकार किया है कि ऐसे परिवारों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है जिनमें शराब पी जाती है। **व्यक्तिगत समस्याओं के अन्तर्गतः** जेब में पैसा न रहना, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना, भाँति–भाँति की बीमारियाँ व असाध्य रोग हो जाना, सम्मान में कमी होना, कार्य–क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, समय का दुरूपयोग, लापरवाही की पराकाष्ठा, वैयक्तिक विघटन इत्यादि बतायी गयी। जबकि **पारिवारिक समस्याओं के अन्तर्गतः** कर्तव्य व उत्तरदायित्वों का परिपालन न कर पाना, आर्थिक तंगी, बाल बच्चों की शिक्षा न दिलवाना, अपने बच्चों को पेय जल से सम्बन्धित पाउच बेचना, अनेक प्रकार की छोटी चीजें बेचने में लगाते हैं। ये नशाखोर प्राप्त आय से अपने परिवार की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं उन्हीं के परिवार दिन–प्रतिदिन टूट रहे हैं। जहाँ तक परिवार न टूटे नशाखोरों की पत्नियाँ अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिये अधिकांश महिलाएँ भी अन्य लोगों के घर में काम कर प्राप्त वेतन से लोगों का सहयोग करती है। सब ही जब दूसरे के यहाँ काफी समय तक कार्य करेंगी तो वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाती। उनके बच्चे इधर–उधर घूमने लगते हैं। गलत लोगों के सम्पर्क में आते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं। जिसके कारण गलत लोगों के सम्पर्क में अब इनके बच्चे पहुँच जाते हैं। ऐसा अनुसंधानकर्ता ने निदर्शितों से साक्षात्कार करके उनके परिवार एवं माता–पिता के सम्बन्ध में जानकारी की।

अनुसंधानकर्ता ने उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति विशेष की जानकारी की/ नशाखोर की वैवाहिक स्थिति 195 (65.00 प्रतिशत) निदर्शितों ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम सामाजिक एवं पारिवारिक परम्पराओं के आधार पर सम्पन्न ऐसे

दाम्पत्य जीवन से वह सन्तुष्टता की बात कही। लेकिन दूसरे लोगों की खराब संगति ने हमारे परिवार के जीवन में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ जिसके निराकरण के लिये अनेक तरीके अपनाये हैं लेकिन असफलता ही हाथ लगी है। शेष 105 (35.00 प्रतिशत) दर्शितों ने अनुसंधानकर्ता को उत्तर दिया कि हम लोग अविवाहित जीवन से भी सन्तुष्ट हैं अधिक से अधिक कमाओं और विभिन्न प्रकार के मदों में खर्च करो। इस प्रकार के उत्तर अधिकतर अविवाहित नशाखोरों ने दिया। साथ में उनका कथन यह था कि हम अपने माता–पिता के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और कभी कभार उनकी आर्थिक सहयोग करते हैं कुछ नशाखोर अपनी कमाई का काफी अंश नशा में खर्च कर देते हैं यहाँ तक की वे दिन–रात रिक्शा, आटो रिक्शा चलाते हैं और वहीं स्टेशनों में रुक जाते हैं।

**<u>नशाखोरों के सामाजिक पुनर्वास तथा सुधार हेतु सुझाव</u> :**

मद्यपान, मादक पदार्थों की लत से अधिक उपचार योग्य है। जिसके लिये मुख्यतः मनोचिकित्सक, पर्यावरण– चिकित्सा, व्यवहार–चिकित्सा तथा डाक्टरी–चिकित्सा, इसके लिये सुझाई जाती हैं तथा सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिये अपनायी जाती हैं। डाक्टरी–चिकित्सा में ''इन्ट्राब्यूज'' नामक दबाई दी जाती है, जो सस्ती है तथा मद्य के प्रति प्रयोक्ता में घृणा पैदा करती है; किन्तु कोई असर नहीं करती, तब तक कि प्रयोक्ता नहीं पीता। मनोचिकित्सक में पुर्नसामाजीकरण को परामर्श तथा सामूहिक चिकित्सा के द्वारा प्रबलित (रीनफोर्स) किया जाता है। पर्यावरण–चिकित्सा में नशाखोर/प्रयोक्ता को पर्यावरण बदलने के लिये बाध्य किया जाता है। व्यवहार–चिकित्सा में उसके भय और अवरोध को हटाया जाता है ताकि वह आत्म–विश्वास और आत्म–निर्भरता को विकसित कर सके। इस प्रक्रिया में अस्पताल, परिवार, परामर्श केन्द्र, स्वैच्छिक संगठन तथा शिक्षा के माध्यम से मूल्यों में परिवर्तन करना आदि अहम् भूमिकाएँ निभाते हैं। परन्तु सफलता नगण्य मिलती है। यद्यपि ''मद्य–निषेध'' कानून इसी समस्या के समाधान हेतु लागू किया गया, परन्तु वांच्छित सफलताएँ प्राप्त न हो सकीं, क्योंकि– **<u>''किसी भी समस्या का समाधान केवल कानून बना देने से ही नहीं हो सकता, बल्कि कहीं सामाजिक कार्यों की आवश्यकता है तो कहीं सामाजिक विधानों की।''</u>** भारत में ''टेकचन्द समिति'' के सुझावों पर मद्यनिषेध–कार्यक्रम लागू किये गये; परन्तु असफलता ही हाथ लगी। क्योंकिः मद्यनिषेध के शिकार को अपराधी की श्रेणी में धकेल दिया जाता है, अतः अवैध शराब का निर्माण और पुलिस के दुर्व्यवहार बढ़ गये। मद्यनिषेध–मॉडल के समाप्त होने से सरकारी नियंत्रण, शराब के व्यापार का मूलरूप से राज्य का उत्तरदायित्व बनकर रह गया। राज्य सरकार खुली लाइसेन्स

प्रणाली के व्यापार के अन्तर्गत मदिरा को ठेकों के रूप में निजी उद्यम को सौंप देती हैं और नाम मात्र के सार्वजनिक लक्ष्य से होते हैं कि– उन व्यक्तियों को जिनका अपराधिक अथवा संदिग्ध वित्तीय इतिहास हो, इससे अलग रखा जाये तथा **लाइसेन्स वाली दुकानों के भौतिक स्थानों पर नियंत्रण रखा** जाये। शासन द्वारा जब ठेके उठाये जाते हैं; तो प्रतिवर्ष करोड़ों की आवकारी से आय होती है, परन्तु सुधारवादी यह तर्क देते हैं कि जब तक हमारी सामाजिक–संरचना और आर्थिक–प्रणाली असमानता, बेरोजगारी, निर्धनता, अन्याय, भूमिका–तनावों तथा अन्य तनावों को उत्पन्न करते रहेंगे, मदिरापान बना रहेगा। चूँकि हमारे समाज में चल रही पद्धतियाँ अधिक कुण्ठाएं तथा वंचन पैदा करती हैं, इस कारण नीति व कार्यक्रम; जो अधिक नौकरियों को पैदा करें, निष्पक्ष प्रतियोगिता की अनुमति दे, नियुक्तियों व पदोन्नतियों में भ्रष्टाचार व भाई–भतीजावाद का काम करें। यदि व्यक्तियों के जीवन को सार्थक, लाभप्रद तथा सन्तोषप्रद बनाया जाय, तो मदिरा की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरेः हानि और दुःख, जो मदिरा एक व्यक्ति के जीवन और समाज को हानि पहुँचा सकती है, के बारे में शिक्षा मदिरा के उपयोग को कम तथा नियंत्रित करने में सहायक होगी। माता–पिता, मदिरा के खतरों से बचा सकते हैं, विचलितों को दण्डित कर सकते हैं तथा आवश्यक भय पैदा करते हैं। अन्त में, शिक्षक भी अनौपचारिक वार्तालाप करके मद्यपान के दुष्परिणाम बताकर अहम भूमिका निभा सकते हैं। **इस प्रकार नशाखोरी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने में संयुक्त आक्रमण की आवश्यकता है जिसमें उपचार, सामाजिक उपाय, शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य सम्मिलित हों–कहावत भी है :–**

**''उपचार से निरोध श्रेष्ठ है।''** अतः मद्यपान को रोकने के लिये निम्न उपाय/सुझासव सार्थक सिद्ध हो सकते हैं :–

(1) मद्य–निषेध कार्यक्रम सम्पूर्ण राष्ट्र व प्रदेशों में एक साथ समान रूप में लागू किये जाये।

(2) होटल, बार, रेस्तराँ, क्लब, सिनेमा, पार्टियों, सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में शराब का सेवन बिल्कुल निषिद्ध किया जाये, दोषी पाये जाने वालों के प्रति कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(3) आवकारी (शराब के ठेकों) को बन्द किया जाये।

(4) सरकारी व सफेदपोश सेवाओं में सेवारत व्यक्तियों के लिये शराब का सेवन कानून वर्जित कर देना चाहिए।

(5) मद्य–निषेध कार्यक्रम में पूर्णतः क्रियान्वित करने के लिये अधिक से अधिक कठोर नियम बनाये जाये।

(6) विदेशों से आने वाली शराब पर सीमाएँ सील करके प्रतिबन्धित किया जाये।

(7) कठोर कानूनों के साथ–साथ जनता में मद्य–निषेध कार्यक्रम के अनुकूल जनमत बनाने के लिये सरकार की ओर से सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों व स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रचार कराया जाये।

(8) ग्रामीण तथा नगरीय अंचलों में नुक्कड़ सभाएँ, नशा–विरोधी नारे, मद्य–निषेध प्रदर्शनी व प्रतियोगिताएँ, संगोष्ठियाँ आदि आयोजित की जाये ताकि जनसाधारण में मद्यपान से होने वाली हानियों की जानकारी हो सके।

(9) शैक्षिक संस्थाओं में मद्य–विरोधी, शोध–संगोष्ठियाँ आयोजित की जाये एवं उनके सुझावों का परिपालन किया जाये।

(10) गैर–कानूनी तौर पर शराब बनाने को रोकने की दृष्टि से पुलिस–स्टाफ की संख्या में उचित बढ़ोत्तरी की जाये।

❋●❋●❋